

प्रेषक,

अरूण प्रकाश,

विशेष सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,

लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 16-06-2026

विषय: उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण में सेन्डाई फ्रेमवर्क परियोजना के संचालन हेतु तैनात वरिष्ठ सलाहकार (मय कम्प्यूटर ऑपरेटर, वाहन सहित) की 01 वर्ष की अवशेष समयावधि (दि० 01 मार्च, 2026 से दि० 19 जून, 2026 तक) की सेवाओं के भुगतान हेतु कुल ₹0 6,90,333/- की धनराशि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं०-282/का०अनु०/19-वरि०सला०/2026-27, दिनांक 27.05.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण में सेन्डाई फ्रेमवर्क के संचालन हेतु तैनात वरिष्ठ सलाहकार (मय कम्प्यूटर ऑपरेटर, वाहन सहित) की 01 वर्ष की अवशेष समयावधि (दि० 01 मार्च, 2026 से दि० 19 जून, 2026 तक) की सेवाओं के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रश्नगत प्रयोजन की शेष समयावधि हेतु कुल ₹0 6,90,333/- की धनराशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण में सेन्डाई फ्रेमवर्क के संचालन हेतु तैनात वरिष्ठ सलाहकार (मय कम्प्यूटर ऑपरेटर, वाहन सहित) की 01 वर्ष की अवशेष समयावधि (दि० 01 मार्च, 2026 से दि० 19 जून, 2026 तक) की सेवाओं के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य आपदा मोचक निधि की प्रपेयर्डनेस एवं कैपेसिटी बिल्डिंग मद-11 से धनराशि ₹0 6,90,333/- (₹0 छः लाख नब्बे हजार तीन सौ तैंतीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

नियम व शर्तें/प्रतिबंध-

- (1) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि का उपयोग गृह मंत्रालय (आपदा प्रबन्धन प्रभाग), भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020-NDMA-1, दिनांक 22.04.2022 द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार किया जायेगा। 30प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त गाइडलाइन के निर्देशों का उल्लंघन न होने पाये।
- (2) राज्य आपदा मोचक निधि के क्षमता निर्माण मद से स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।
- (3) जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा, किसी अन्य मद में धनराशि का डायवर्जन नहीं किया जायेगा।
- (4) क्षमता निर्माण मद से निर्गत की जा रही धनराशि का उपयोग मानदेय/वेतन/ईधन/मरम्मत/ अनुरक्षण में नहीं किया जायेगा एवं धनराशि के ऑडिट का दायित्व 30प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का होगा।
- (5) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2027 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2027 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
- (6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।
- (7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।
- (8) राज्य आपदा मोचक निधि के सबध में समय-समय पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं एनडीएमए द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/गाइडलाइन निर्गत किये गये हैं अथवा किये जायेंगे के अनुसार उक्त धनराशि का उपभोग की कार्यवाही समयबद्धरूप से सुनिश्चित की जायेगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय ₹0 6,90,333/- (₹0 छः लाख नब्बे हजार तीन सौ तैंतीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245-05-800-06-11 स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

Digitized by
ARUN PRAKASH
Date: 16-06-2026
16:01:23

(अरुण प्रकाश)

विशेष सचिव।

संख्या:-624(1)/एक-10-2026, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4- वरिष्ठ, वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Digitally signed by
SUSHIL KUMAR
Date: 16-06-2026
16:29:17

(सुशील कुमार)

अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2026-2027
आवंटन दिनांक-18/06/2026

प्रेषण संख्या:- 624
आवंटन आदेश संख्या:- 001-624
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2026-2027 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय (राज्यांश)
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-6019-up state disaster management authority , lucknow-01-a	वर्तमान प्रगामी	690333 45207978	690333 45207978
	योग	वर्तमान प्रगामी	690333 45207978	690333 45207978

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया छः लाख नब्बे हजार तीन सौ तैंतीस
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चार करोड़ बावन लाख सात हजार नौ सौ अठहत्तर

(अरविन्द कुमार सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी